पत्र संख्या-वा0अनु0/परिपत्र/2026-27/ 252 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।
(वाद अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 22 मई, 2026

समस्त,
अपर आयुक्त/अपर आयुक्त ग्रेड-1,
अपर आयुक्त ग्रेड-2/सयुक्त आयुक्त,
उपायुक्त/सहायक आयुक्त/ राज्य कर अधिकारी,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय- जोनल लॉ कमेटी के सम्बन्ध में

उ0प्र0 वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-112 में जी0एस0टी0 अपीलीय अधिकरण से सम्बन्धित प्राविधान हैं। प्रथम अपीलीय निर्णयों की समीक्षा करते हुए जी0एस0टी0 अपीलीय अधिकरण (GSTAT) के समक्ष विभागीय अपील योजित करने हेतु वाद अनुभाग, मुख्यालय द्वारा परिपत्र संख्या-02 दिनांक 01.04.2021 जारी करते हुए समस्त जोन में जोनल लॉ कमेटी का गठन किया गया था।

राज्य कर मुख्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा जारी परिपत्र संख्या-GST/2024-25/76/STATE TAX दिनांक-05.07.2024 में UPGST अधिनियम की धारा 120 के साथ पठित धारा 168 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की अनुशंसाओं पर, निम्नलिखित मौद्रिक सीमाएँ निर्धारित की गयी थी, जिनसे कम होने पर विभागीय अधिकारी, यथास्थिति, अपील या आवेदन अथवा विशेष अनुमति याचिका, UPGST अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTAT), उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर नहीं करेंगे, तथापि मौद्रिक सीमा निम्नांकित अपवादों के अधीन होगी ।

Appellate Forum	Monetary limit (Amount involved in Rs.)
GSTAT	20,00,000/-
High Court	1,00,00,000/-
Supreme Court	2,00,00,000/-

अपवाद

विभाग द्वारा GST अपीलीय अधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष अपील या आवेदन दायर करने तथा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका या अपील दायर करने हेतु उपर्युक्त निर्दिष्ट मौद्रिक सीमाएँ सभी मामलों में लागू होंगी, सिवाय निम्नलिखित परिस्थितियों के, जहाँ अपील दायर करने का निर्णय उक्त मौद्रिक सीमाओं का संज्ञान लिए बिना गुण-दोष के आधार पर लिया जाएगा—

i. जहाँ CGST अधिनियम या UPGST अधिनियम या IGST अधिनियम या जीएसटी (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम के किसी उपबंध को भारत के संविधान के विरुद्ध (असंवैधानिक) घोषित किया गया हो; या

ii. जहाँ CGST अधिनियम या UPGST अधिनियम या IGST अधिनियम या जीएसटी (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियम को मूल अधिनियम के विरुद्ध (असंवैधानिक) घोषित किया गया हो; या

iii. जहाँ सरकार या बोर्ड द्वारा जारी किसी आदेश, अधिसूचना, निर्देश या परिपत्र को CGST अधिनियम या UPGST अधिनियम या IGST अधिनियम या जीएसटी (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम

अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के विरुद्ध (असंवैधानिक) घोषित किया गया हो; या

iv. जहाँ मामला निम्न से संबंधित हो—

a. वस्तुओं या सेवाओं का मूल्यांकन (Valuation of goods or services); या
b. वस्तुओं या सेवाओं का वर्गीकरण (Classification of goods or services); या
c. प्रतिवापसी (रिफंड) (Refunds); या
d. आपूर्ति का स्थान (Place of Supply); या
e. कोई अन्य विषय,

जो आवर्ती प्रकृति (recurring in nature) का हो तथा/अथवा अधिनियम/नियम/अधिसूचना /परिपत्र/आदेश/निर्देश आदि के प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित हो; या

v. जहाँ सरकार/विभाग या उनके अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियाँ की गई हों तथा/अथवा व्यय (कॉस्ट) आरोपित किया गया हो; या

vi. कोई अन्य मामला या मामलों का वर्ग, जिसमें आयुक्त के मत में न्याय या राजस्व के हित में अपील करना आवश्यक हो।

परिपत्र संख्या-GST/2024-25/76/STATE TAX दिनांक-05.07.2024 के अधीन रहते हुए समस्त जोनल लॉ कमेटियों की कार्य-प्रणाली में एकरूपता लाने तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निम्न प्रकार विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं :-

<u>गठन –</u>

प्रत्येक जोन स्तर पर जोनल अपर आयुक्त / अपर आयुक्त ग्रेड-1 की अध्यक्षता में एक जोनल लॉ कमेटी गठित है। जोनल अपर आयुक्त / अपर आयुक्त ग्रेड-1 द्वारा नामित उपायुक्त से अनिम्न स्तर के अधिकारी द्वारा सदस्य सचिव के दायित्व का निर्वहन किया जाएगा। जोन में तैनात अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) एवं समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक/वि0अनु0शा0/टैक्स ऑडिट/कॉर्पोरेट) इस समिति के स्थायी सदस्य रहेंगे। बैठक के समय विचारणीय प्रकरण से सम्बन्धित खण्ड अथवा वि0अनु०शा0 इकाई के उपायुक्त एवं सचल दल के सहायक आयुक्त भी उपस्थित रहेंगे।

<u>उद्देश्य -</u>

1. जोनल लॉ कमेटी का प्राथमिक उद्देश्य प्रथम अपीलीय निर्णयों की समीक्षा कर निहित विधिक बिन्दुओं एवं वाद/प्रकरण के तथ्यों के आधार पर राजस्व की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना है।

2. जोनल लॉ कमेटी द्वारा न्याय-निर्णयन आदेशों की गुणवत्ता का परीक्षण एवं आदेशों की गुणवत्ता में सुधार के सम्बन्ध में विमर्श किया जायेगा।

3. कमेटी की बैठकों में प्रथम अपीलीय आदेशों की समीक्षा में किसी महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न अथवा विशेष तथ्य विद्यमान न होने तथा आदेश विधिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण होने की दशा में, प्रथम अपीलीय निर्णय पर सहमति के साथ प्रकरण का निक्षेप किया जाएगा।

4. यदि जोनल लॉ कमेटी द्वारा यह पाया जाता है कि प्रॉपर ऑफिसर द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं अर्थदण्ड में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कमी की गयी है, ऐसे प्रकरणों में यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी के स्तर से किसी विधिक बिन्दु की उपेक्षा हुई अथवा किन्हीं तथ्यों अथवा अभिलेखों में उल्लिखित महत्वपूर्ण बिन्दु समाहित होने से रह गया है तो ऐसे मामलों में GSTAT के समक्ष अपील दाखिल किये जाने का निर्णय लिया जाएगा ।

जोनल लॉ कमेटी का उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जोन स्तर पर एक-समान प्रकरणों में पारित किये जाने वाले अपीलीय निर्णयों में भिन्न-भिन्न आधारों पर निर्णय न हो। ऐसी स्थिति में राजस्व के पक्ष में पारित निर्णय के आधारों का परीक्षण करते हुए विधिक रूप से सुदृढ़ मामले को आधार बनाते हुए अपीलीय आदेशों की समीक्षा की जाये।

सदस्य सचिव द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख :-

1. उपस्थिति रजिस्टर
2. प्रत्येक बैठक हेतु प्रथम अपीलीय/ न्याय-निर्णयन आदेशों की पत्रावली
3. एजेण्डा की पत्रावली
4. कार्यवृत्त की पत्रावली

बैठक में अपेक्षित कार्यवाही :-

1. जोनल लॉ कमेटी की बैठक प्रत्येक माह में न्यूनतम 02 बार आयोजित की जाएगी। सदस्य सचिव द्वारा बैठक की तिथि से सामान्यत: एक सप्ताह पूर्व बैठक के एजेण्डा का निर्धारण करते हुए विभागीय आदेशों की प्रतियॉ सदस्यों को उपलब्ध करा दी जायेंगी। एजेण्डा के निर्धारण में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विचारणीय प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित न्याय-निर्णयन अधिकारी का अभिमत अवश्य अंकित हो, जिससे समस्त सदस्य प्रतिभाग करने से पूर्व प्रकरण के सम्बन्ध में अपनी पूर्ण तैयारी के साथ बैठक में प्रतिभाग कर सकें।

बैठक के उपरान्त सदस्य सचिव द्वारा कार्यवृत्त तैयार करते हुए समिति के समस्त सदस्यों व अध्यक्ष के हस्ताक्षर प्राप्त करते हुए मूल प्रति रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखी जायेगी तथा एक प्रति समस्त सदस्यों एवं मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी। जिन प्रकरणों में द्वितीय अपील दाखिल किया जाना है, ऐसे सभी प्रकरणों में निहित विधिक बिन्दु या अन्य महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बिन्दुओं की विस्तृत विवेचना सम्बन्धित कार्यवृत्त में अवश्य की जायेगी। कार्यवृत्त विस्तृत होना चाहिए तथा प्रत्येक प्रकरण के सम्बन्ध में हुई चर्चा का इसमें स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा तथा कार्यवृत्त तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि द्वितीय अपील के काल-बाधन की समय-सीमा से न्यूनतम एक माह पूर्व यह न्याय-निर्णयन अधिकारी को प्राप्त हो सके, जिससे जिन प्रकरणों में GSTAT के समक्ष अपील योजित करने का निर्णय लिया गया है, उस निर्णय के अनुक्रम में तैयारी हेतु न्याय-निर्णयन अधिकारी को पर्याप्त समय उपलब्ध हो सके। प्रत्येक आगामी बैठक की तिथि का निर्धारण करने से पूर्व सदस्य सचिव यह सुनिश्चित कर लेंगे कि पिछली बैठक का कार्यवृत्त सम्बन्धित न्याय-निर्णयन अधिकारी को प्राप्त कराया जा चुका है।

2. जी0एस0टी0 अधिनियम की विभिन्न सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पारित आदेशों के संदर्भ में, जिन मामलों में जोनल लॉ कमेटी द्वारा यह पाया जाता है कि किसी भी स्तर पर (प्रॉपर ऑफिसर/प्रथम अपीलीय अधिकारी) विधिसम्मत, तर्कसंगत, गुणवत्तापूर्ण एवं मुखरित आदेश (Speaking Order) पारित किया गया है, तो ऐसे प्रकरणों में प्रत्येक जोन से आदेशों की गुणवत्ता की दृष्टि से उत्कृष्ट आदेशों का चयन कर उन्हें फील्ड स्तर पर प्रसारित करने हेतु मासिक आधार पर मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि फील्ड के विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रदेश के अन्य जोनों में आदेशों के पारित किये जाने के सम्बन्ध में की जा रही सर्वोत्तम कार्यप्रणाली (Best Practices) अपनायी जा सके।

3. जिन मामलों में करदाता/व्यापारी की अपील पूर्णत:/अंशत: स्वीकार करते हुए प्रथम अपीलीय आदेश पारित किये गये हैं तथा यदि यह पाया जाता है कि न्याय-निर्णयन अधिकारी की जान-बूझकर की गयी लापरवाही के कारण अथवा वि0अनु0शा0 के प्रतिवेदनों की खराब गुणवत्ता के कारण अथवा सचल दल अधिकारियों की तथ्यात्मक/विधिक त्रुटियों के कारण आदेश पारित हुए हैं तो उक्त सभी प्रकार के मामलों में खराब गुणवत्ता वाले आदेशों को संकलित कर सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए मुख्यालय को उपलब्ध कराए जायेंगे।

4 . जोनल लॉ कमेटी की बैठक में यदि यह पाया जाता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा विधि के महत्वपूर्ण बिंदुओं की उपेक्षा की गई है अथवा आदेश में mala-fide intent परिलक्षित होती हैं, तो ऐसे प्रकरणों में भी ख़राब गुणवत्ता वाले आदेशों को संकलित करते हुए सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए मुख्यालय उपलब्ध कराए जाएंगे।

उपरोक्त बिन्दु संख्या-2, 3 व 4 के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व संबंधी आख्या अथवा उत्कृष्ट श्रेणी के आदेश, सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त / अपर आयुक्त ग्रेड-1 की स्पष्ट संस्तुति सहित मुख्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे ।

निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

Digitally signed by
NITIN BANSAL
Date: 22-05-2026
19:32:59

(डा0 नितिन बंसल)
आयुक्त, राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।</u>
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. विशेष सचिव, राज्य कर, उ0प्र0, शासन, लखनऊ।
2. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को विभागीय वेबसाइट पर समस्त अधिकारियों के सूचनार्थ प्रकाशित करने का कष्ट करें।

788

श्रीमती पूर्णिमा
कृपया ... करें।
25/5/26
उपायुक्त (आई0टी0) राज्य कर,
... लखनऊ
दिनांक 25-05-26

Digitally signed by
Akhilesh Kumar Singh
Date: 22-05-2026
19:42:14

संयुक्त आयुक्त (वाद), राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।